सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1457/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. घीसालाल पुत्र रेवता गूर्जर निवासी मेवदाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राम्हण निवासी मेवदाखुर्द तह. केकडी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–21.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सरसड़ी में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मेवदाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 168 के खसरानम्बर 243 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि वादी, प्रतिवादी स. 1 की संयुक्त खातेदार एव कब्जेकाश्त की खरीदशुदा आराजी है। जिसमें वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी स. 1/2 हिस्सा है एवं इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी स. 1 वादग्रस्त आराजी में वादी के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पहुचाने व जबरन बेदखल करने की धमकिया देता है । वादी द्वारा प्रतिवादी स. 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाकर आराजीयात के हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें, जबरन बेदखल न करें, तथा न ही कब्जे काश्त व उनके हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें एव आराजीयात को रहन ,बेचना हस्ताान्तरण अंतरण न करें। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मगनलाल लोधा ने पावर पेश किया । प्रतिवादी स. 1 की जर्ये रजिस्टर्ड एडी तलबी की गयी।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरसडी में पेश हुयी। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम मेवदाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 168 के खसरानम्बर 243 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। एवं साथ ही प्रतिवादी स. 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाकर आराजीयात के हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें, जबरन बेदखल न करें, तथा न ही कब्जे काश्त व उनके हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें एव आराजीयात को रहन ,बेचना हस्ताान्तरण अंतरण न करें। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का का बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी